there are 558 Indian nationals in custody in Pakistan. Out of them, 232 are civilian prisoners, 252 are fishermen and 74 are missing Defence personnel, including 54 Prisoners of War, since 1971. The Government of Pakistan has acknowledged the presence of only 72 Indian civilian prisoners and 237 fishermen lodged in Pakistani jails. So, there is a discrepancy between what we claim and what they concede. There is a Judicial Committee. We also exchange notes amongst ourselves on every first of January and first of July between the two High Commissioners. We update the figures and see whether reconciliation is possible. But, I would like to convey to this august House that the Government of India will do everything within its power to get the Indian nationals who are in Pakistan custody released.

Workshops organised by the National Commission for Women

*165. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of workshops organised by the National Commission for Women (NCW) in the country during each of the last three years and the current year, State-wise;

(b) the details of amount spent on these workshops, workshop-wise; and

(c) the details of benefits derived thereby in view of the betterment of women welfare?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) National Commission for Women (NCW) has organized 27 seminars/ workshops since 2008-09 upto July, 2011. A Statement showing the details of seminars/ workshops organised by the National Commission for Women (NCW) in the country, State-wise, during each of the last three years and the current year alongwith the amount spent on them is given in the Statement-I (*See* below).

The mandate of NCW includes review of existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommending amendments thereto, calling for special studies for investigation into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women, undertaking promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres etc. NCW to this end and purpose, organizes seminars and workshops, on several topics relevant to its mandate. The topics selected address the current felt needs, issues highlighted in the media and other concerns related to women and their problems.

These seminars/workshops serve as interactive platform for various stakeholders to exchange ideas and experiences on different topics. The deliberations and exchanges provide inputs for new legislative proposals, for amendments in existing laws and for monitoring the implementation of laws. Besides, they help in creating overall awareness on women's issues. The experience has been that valuable suggestions for policy planning as well as legislative changes have emerged from them (seminars/ workshops).

Statement-I

Workshops/seminars organised, State-wise, by the National Commission for Women during the last three years and the current year, and amount spent on them

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Name of Workshop/ Seminar	Date	State (City)	Expenditure
1	2	3	4	5
(A) 2008-09				
1.	Empowerment of women in North-east.	19/04/2008	Sikkim (Gangtok)	4,98,500
2.	Consultation of Surrogacy and Assisted Reproductive Technologies	24/04/2008	New Delhi	1,23,000
3.	Seminar on Assistance and Rehabilitation to Victims of Rape	19/06/2008	New Delhi	1,10,410
4.	Review of Indecent Representation of Women Act	01/07/2008	West Bengal (Kolkata)	4,96,935
5.	National Consultation of women working in night shifts with special reference to IT/BPO Sector	15/09/2008	Karnataka (Bangalore)	4,85,000
6.	Seminar on HIV/AIDS	17/01/2009	Maharashtra (Mumbai)	6,98,086
7.	State level Seminar on Role of Media in Women Empowerment	6/02/2009	Uttar Pradesh (Kanpur)	1,00,000

1	2	3	4	5
8.	Seminar on Violence against Women	21/02/2009	Andhra Pradesh	1,00,000
2009-10				
1.	Seminar on Violence Against Women,	10/05/2009	Manipur (Imphal)	1,00,000
2.	Workshop on relief to rape victims at NASC complex, Pusa	25/07/2009	New Delhi	6,96,513
3.	Seminar on NRI Marriages	27/08/2009	New Delhi	13,58,000
4.	Seminar on Implementation of PWDV Act in association with Lawyers Collective at Vigyan Bhawan	13/11/2009	New Delhi	20,98,017
5.	Consultation on Dayan Pratha at Udaipur and Child Marriages/PC PNDT Act	08/12/2009	Rajasthan (Udaipur)	4,12,341
6.	Seminar on Child Marriage	11/12/2009	Rajasthan (Chittorgarh)	4,75,000
(B)	2010-11			
1.	Seminar at Udaipur on PCPNDT and Declining Sex ratio	10/04/2010	Rajasthan (Udaipur)	8,18,440
2.	National Consultation Meetings with Member Secretaries and Chairpersons of the State Commission for Women	05-06/07/2010	New Delhi	11,42,009
3.	Access to Social Justice to Women w/r Legal Rights and role of NGOs/ PRIs at Lucknow (U.P.) in Lucknow	20/07/2010	Lucknow (Uttar Pradesh)	3,55,850
4.	Seminar on irretrievable of marriage as ground of divorce at Mumbai	02/08/2010	Mumbai (Maharashtra)	9,29,111
5	Seminar on Marriageable age in Trivandrum	28/10/2010	Kerala (Trivandrum)	13,85,000
6.	Seminar on Marriageable age in Puducherry	30/10/2010	Puducherry	
7.	Workshop in Agartala on "Crime Against Women"	09.09.2010	Tripura	2,50,000

1	2	3	4	5
8.	Seminar on Marriageable age of girls at Kolkata	21/01/2011	West Bengal	3,61,401
9.	National Seminar on issues relating to NRI Marriages in collaboration with MOIA at Vigyan Bhawan	15/02/2011	New Delhi	9,74,920
(C)	2011-12			
1.	Seminar on the theme of Women in the World of Tomorrow at Russian Cultural Centre	07.04. 2011	New Delhi	4,21,706
2.	Regional level Conference on Trafficking of Women in collaboration Assam State Commission for Women at Guwahati	15/07/2011	Assam	5,00,000
3.	Seminar on Child Marriage in colla- boration with R.K. HIV AIDS Research and Care Centre at Mumbai	04/04/ 2011	Maharashtra (Mumbai)	2,87,406
4.	Seminar on Marriageable age of girls	04/04/ 2011	Meghalaya, (Shillong)	6,00,000

श्रीमती विप्लव ठाकुर : माननीय सभापति जी, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूं कि आज आपको इस हाउस में 4 साल पूरे हो गए। जिस तरह से आपने इसको चलाया है इस बात के लिए भी यह हाउस आपको बधाई देता है।

महोदय, हमारे देश में 26 राज्य हैं और इन्होंने जो ब्यौरा दिया है, उसके अनुसार इन्होंने जो seminars और workshops लगाए हैं, वे केवल 9-10 राज्यों में ही लगाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन seminars और workshops को लगाने के लिए National Commission for Women का क्या criteria है और किस चीज़ को ध्यान में रख कर ये seminars और workshops लगाए जाते हैं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : सभापति जी, माननीय सदस्या ने अच्छा प्रश्न किया है। इसमें महिलाओं के खिलाफ जो भी समस्याएं आती हैं, उन सब चीजों के बारे में कि कैसे उन्हें सहूलियतें दी जाएं, संविधान का संशोधन किया जाए या हमारे जो बहुत-सारे laws हैं या legislations हैं, उनमें किस तरह से संशोधन करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इसलिए NCW ने अभी तक 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 में जुलाई तक 27 seminars organise किए हैं। उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी जो NGOs हैं, वे भी महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए seminars organise करती हैं कि उनको कैसे economically empowered किया जाए, female foeticide जो है, उसको हमें कैसे दूर करना है, उनको किस तरह से economically and socially empower करना है। हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, जिनके लिए

NCW ने legislation बनाए तथा उस legislation के आधार पर ये सारे कार्य पूरे किए गए। इसलिए, ये seminars organise किए जाते हैं।

उन्होंने पूछा कि इसका criteria क्या है? जैसे, witch-hunting की प्रथा है। यह डायन प्रथा राजस्थान या मध्य प्रदेश में ज्यादा रही, तो राजस्थान में इस तरह के seminars organise किए गए। यह एक example है। जहां-जहां, जिस राज्य में महिलाओं से related जो समस्याएं सामने आती हैं, उस राज्य में उनके लिए ऐसे seminars organise किए जाते हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, इन्होंने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 'The deliberations and exchanges provide inputs for new legislative proposals, for amendments in existing laws and for monitoring the implementation of laws'. तो मैं यह जानना चाहती हूं कि ये कब करेंगे? क्योंकि, जो NCW है, चाहे वह States की है या केन्द्र की है, उनके पास इतनी powers नहीं हैं जिससे कि उनके पास जो cases आते हैं, उनका वे समाधान कर सकें। तो यह उनको कब दिया जाएगा और जो chairperson है, उनका हमारे आज क hierarchy में क्या status है, यह भी बताने की कृपा करें?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : सभापति जी, chairman का status तो है। जैसा मैंने कहा कि महिलाओं के प्रति जो बहुत सारे अत्याचार हैं, domestic violence की बात है या early marriage की बात है, इस तरह की समस्याएं जहां-जहां हैं, वहां बहुत-सारे stake holders के साथ और बहुत सारी संस्थाओं के साथ seminars organise करते हैं कि उन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। यहां तक कि वे Planning में भी अपने suggestions देते हैं। वे जो suggestions देते हैं, उनके लिए act amend करते हैं या नया act बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। इसमें उनका पूरा-का-पूरा आधार रहता है। अभी इन्होंने जो पूछा कि किस तरह से उसको पूरा करते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, तो जो भी चीज़ें यहां से आती हैं, मंत्रालय उनको बिल के रूप में एक्ट के रूप में लाता है, जैसे बहुत-सारे bills महिलाओं को सशक्त करने के लिए आए हैं ताकि उनको चारों तरफ से पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। जैसे, अभी domestic violence की बात आई या dowry prohibition की बात आई या दूसरे जो हमारे बिल्स हैं, जैसे work place पर sexual harassment से उनकी protection की जो बात आई, इन सब को रोकने के लिए यह जो suggestions और recommendations देते हैं, उनको बिल के रूप में बनाया जाता है।

श्री सभापति : कुमार दीपक दास ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, इन्होंने मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No more questions ...*(Interruptions)*...

श्रीमती विप्लप ठाकुर : सर, मैंने status of the Chairperson के बारे में पूछा था। गवर्नमेंट की hierarchy में उसका क्या status है? उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया।

MR. CHAIRMAN: Shri Kumar Deepak Das, please go ahead.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, the hon. Minister, in her reply, has called for special studies for investigation into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women. There is a need of empowered National Commission for Women (NCW). All of us

know that there is a woman Chief Minister, Shrimati Sheela Dikshit, in Delhi. But, still, the women from North-East are not safe in Delhi itself. Everyday there are cases of discrimination and atrocities against the women from North-East. I would like to know whether the NCW is empowered to control this. Has the NCW taken any initiative to discuss this matter with the Government of Delhi, including the Ministry of Home Affairs?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने North East की महिलाओं के लिए और दिल्ली में North East की महिलाओं के संबंध में प्रश्न किया है। इस संबंध में पहले एक ऑर्डर होम मिनिस्ट्री से किया गया था और मैंने खुद अपने विभाग से भी किया कि जहां-जहां North East की महिलाएं काम करती हैं, वहां इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। चूंकि वे रात के समय काम करती हैं और घर जाती हैं, इसलिए हम recently 20 अगस्त को जसोला में एक वर्किंग वीमेन होस्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वह इसलिए है, क्योंकि वे एक जगह पर compact हों, ताकि उनकी निगरानी हो, उनको पुलिस protection मिले, उनको सेफ रखा जाए और उनके खिलाफ कोई अत्याचार न हो। यह वर्किंग वीमेन होस्टल इसलिए बनाया गया है। वे जहां-जहां काम करती हैं, वहां पुलिस की मोबाईल गाड़ियां चलती हैं और वे उनकी देखभाल करती हैं।

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, उनको देखने के बाद पता चलता है कि पूरे देश में महिलाओं के dowry death, छेड़छाड़ और यौनाचार के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। मैं माननीया मंत्री से सीधा-सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि इनको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं और आंकड़ों में हो रही वृद्धि को सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या इसके लिए सरकार कोई नया कानून बनाने जा रही है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, इसके लिए कानून है और पुलिस उनकी देखभाल करती है। जो छेड़छाड़ का मामला है, वह law and order की प्रॉब्लेम है, लेकिन जब भी ऐसे cases NCW में आते हैं, तो NCW तुरंत उनके against action लेती है औjr action के साथ-साथ अगर उसकी complaint पुलिस को जाए या उसका जो भी रास्ता निकले, उसको पूरी तरह से करती है। मैंने कहा कि छेड़छाड़ के मामले law and order की प्रॉब्लेम है। इसके लिए already हमारा एक्ट है और उस एक्ट के तहत इस तरह के मामले, जो छोटी-छोटी सड़कों पर होते हैं, इसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके लिए पुलिस स्टेशन में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इसकी ट्रेनिंग लगातार दिल्ली में भी चल रही है और बाहर के क्षेत्रों में भी चल रही है।

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय, 1991 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इसके पीछे मुख्य मकसद यही था कि किस तरह दुखी, शोषित, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया जाए। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान में केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन कर रह गया है। मैं माननीया मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के उत्थान तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे किन-किन कानूनों में संशोधन करने की सिफारिश की गई ओर सरकार के द्वारा इन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, इन्होंने जो कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। ...(**व्यवधान**)... इनको खुद बहुत sensitive होना चाहिए, क्योंकि अनुसुइया जी खुद एक महिला हैं। महिलाओं के खिलाफ जब भी अत्याचार हुआ है, NCW और यूपीए की सरकार ने इसके लिए आवाज उठाई है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नए कानून बनाए हैं। ...(**व्यवधान**)...

सुश्री अनुसुइया उइके : महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अखाड़ा इसलिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : पहले आप जवाब सुन लीजिए।

श्रीमती **कृष्णा तीरथ** : पहले मैं जवाब तो दे दूं। जैसा कि मैंने कहा कि 27 seminars किए गए हैं। ...(**व्यवधान**)... ये seminars हैं - Seminar on Empowerment of Women in the North East. ...*(Interruptions)*... जो इतने सारे seminars किए गए हैं। ...(**व्यवधान**)... Rehabilitation of rape victims. ...*(Interruptions)*... जो भी कानून, जैसे female foeticide की बात आई, Domestic violence की बात आई ...(**व्यवधान**)... मैंने पहले भी बताया कि dowry की बात आई ...(**व्यवधान**)... आपने जो कहा कि यह राजनीति का प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। जब-जब महिलाओं की परेशानी आती है, उसके लिए सेमिनार करके और बहुत सारे consults करके यानी दूसरे से विचार-विमर्श करके कानून बनाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)...

श्रीमती कृष्णा तीरथ : ये जो लिस्ट अभी दी है ...(**व्यवधान**)... अभी जो बना है, ...(**व्यवधान**)... There is the Protection of Women against Sexual Harassment Bill.

MR. CHAIRMAN: We are running out of time. ...*(Interruptions)*... कृपया आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... कृपया आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कृष्णा तीरथ : सर, Protection against sexual harassment bill अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया है और वह स्टेंडिंग कमेटी में है। महोदय, इसी तरह समय-समय पर जो समस्याएं आती हैं, उन पर बिल बनते हैं और दो बिल already रखे गए हैं। उन के बारे में स्टेंडिंग कमेटी में आप सभी के विचारों का समावेश हो जाएगा।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट 'ऐरो सिटी' परियोजना

*166. **श्रीमती माया सिंह** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा अभिकरणों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई ए), दिल्ली के निकट 'ऐरो सिटी' परियोजना के निर्माण के कारण विमनपत्तन की सुरक्षा को होने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा संबंधी उक्त खतरे को ध्यान में रखकर नागर विमानन महानिदेशक द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सुरक्षा-अभिकरणों ने अपने प्रतिवेदन में सुरक्षा को लेकर किस तरह के खतरे की ओर संकेत किया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (**श्री वी. नारायणसामी**) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।